

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

वि.आप.प्रक.क्रमांक-01 / 2014

संस्थित दिनांक-20.01.2014

फाईलिंग क्र.234503004072014

1-श्रीमती रीता धुर्वे पति सुरेन्द्र धुर्वे, उम्र-28 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम सलघट, थाना बिरसा, तहसील बिरसा,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-कुमारी साक्षी पिता सुरेन्द्र धुर्वे, उम्र-8 वर्ष,
 नाबालिग वली माँ श्रीमती रीता धुर्वे जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम सलघट, थाना बिरसा, तहसील बिरसा,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - **आवेदिकागण**

// **विरुद्ध** //

सुरेन्द्र धुर्वे पिता बुधराम धुर्वे, उम्र-30 वर्ष, जाति गोंड,
 निवासी-ग्राम झोलर, थाना गढ़ी, तहसील बैहर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - **अनावेदक**

// **आदेश** //

(आज दिनांक-13 / 07 / 2015 को घोषित)

1- इस आदेश द्वारा आवेदिकागण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा-125 द.प्र.सं. वास्ते भरण-पोषण राशि का निराकरण किया जा रहा है।

2- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि आवेदिका क्रमांक-1 अनावेदक की विवाहिता पत्नी है तथा आवेदिका क्रमांक-2 अनावेदक की वैध पुत्री है, जो वर्तमान में आवेदिका क्रमांक-1 के साथ ग्राम सलघट में निवासरत् है।

3- आवेदिकागण द्वारा प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका क्रमांक-1 का विवाह अनावेदक से वर्ष 2002 को सम्पन्न हुआ था। आवेदिका, अनावेदक के साथ उसके ससुराल ग्राम झोलर में लगभग 6 वर्ष तक अच्छे से रही, उसके पश्चात् अनावेदक द्वारा आवेदिका क्रमांक-1 को छोटी-छोटी बातों को लेकर मारपीट कर उसे घर से निकालने और दूसरी शादी करने की धमकी देने लगा। उसके मायके वालों को वास्तविकता का पता लगने पर गांव-समाज के लोगों के सामने मीटिंग करवाकर समझाईश देने का प्रयास किया गया, किंतु अनावेदक नहीं माना और आवेदिकागण को घर से निकाल दिया। आवेदिका क्रमांक-1 मजबूरन अपनी पुत्री के साथ विगत दो

वर्ष से अनावेदक से पृथक उसके मायके में निवासरत् है, इस बीच अनावेदक ने उनके भरण-पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की। अनावेदक ने दूसरा विवाह कर लिया है। अनावेदक साधन-संपन्न खेती-बाड़ी वाला व्यक्ति है, जिससे 50 क्विंटल धान प्राप्त कर तथा ग्राम पंचायत के कार्यों में भाग लेकर प्रतिमाह 4-5 हजार रुपये आय अर्जित कर लेता है। अतएव आवेदिकागण को 5,000/- रुपये प्रति माह भरण-पोषण की राशि अनावेदक से दिलाया जावे।

4- अनावेदक ने आवेदन का जबाब में व्यक्त किया है कि आवेदिका क्रमांक-1 को अनावेदक ने दिनांक-13.04.2010 को उसके घर में गांव के ही रामप्रसाद यादव के साथ आपत्ति जनक स्थिति में पकड़ लिया था। उक्त के संबंध में अनावेदक ने गांव में मीटिंग का आयोजन किया था, जिस पर पंचों के समक्ष आवेदिका क्रमांक-1 ने अपनी मर्जी से रामप्रसाद के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना स्वीकार की थी, तब पंचों ने जाति रीति-रिवाज के अनुसार अनावेदक के साथ आवेदिका बतौर पत्नी नहीं रहने का फैसला सुनाया था, तब से आवेदिकागण ग्राम सलघट में निवासरत् है। उभयपक्ष पर हिन्दू विधि लागू न होकर उभयपक्ष गोंड जनजाति के होकर गोंड रीति-रिवाज व प्रथा से शासित होते हैं, जिसके अनुसार समाज के बीच छोड़-छुट्टी की प्रथा है तथा ऐसी स्थिति में आवेदिका क्रमांक-1 को अनावेदक से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अनावेदक आवेदिका क्रमांक-2 का भरण-पोषण कर अपने पास रखने को तैयार है। अतएव आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या आवेदिका क्रमांक-1 पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक रह रही हैं ?
2. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होकर आवेदिकागण के भरण-पोषण में उपेक्षा बरत रहा है?
3. क्या आवेदिकागण, अनावेदक से 5,000/- रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण राशि प्राप्त करने की हकदार है ?

विचारणीय बिन्दु क.-1 से 3 पर एक साथ सकारण निष्कर्ष :-

6- आवेदिका रीता धुर्वे (आ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि अनावेदक उसका पति है। अनावेदक से उसका विवाह वर्ष 2002 में हुआ है। आवेदिका क्रमांक-2 कुमारी साक्षी उसकी पुत्री है, जो वर्तमान में उसके साथ ग्राम सलघट में रह रही है। अनावेदक ने शादी के 6 साल बाद से स्वयं का दूसरा विवाह करने के आशय से उसे परेशान करने लगा, उसे मारपीट कर घर से भगा दिया, जिसके बाद ग्राम गढ़ी की ललिता नामक महिला से विवाह कर लिया और उसे पत्नी

बनाकर रख लिया है। अनावेदक को आवेदिका क्रमांक-1 के मायके पक्ष के लोगों ने आकर समझाईश दी, किन्तु अनावेदक नहीं माना तथा अनावेदक ने आवेदिकागण के भरण-पोषण की व्यवस्था नहीं कर कोई खोज-खबर नहीं ली है। अनावेदक के पास लगभग दो एकड़ जमीन है तथा वह पंचायत के कार्यों के तहत 4-5 हजार रुपये प्रतिमाह आय अर्जित कर लेता है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि दिनांक-13.04.10 को अनावेदक ने रामप्रसाद यादव के साथ उसे आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था और उसके पूर्व से ही उसके रामप्रसाद से अवैध संबंध थे। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने पंचायत की मीटिंग में रामप्रसाद से उसके शारीरिक संबंध होने की बात स्वीकार की थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस कारण साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

7- लालसिंह (आ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि अनावेदक ने आवेदिका को विवाह के 5-6 साल ठीक रखने के बाद दूसरा विवाह करने पर लड़ाई झगड़े करता था। आवेदिका को अनावेदक ने घर से निकाल दिया है तथा वह वर्तमान में मायके में रह रही है। अनावेदक ने दूसरा विवाह कर लिया है, ऐसी जानकारी उसे हुई है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे यह पता चला था कि आवेदिका को ग्राम झोलर के रामप्रसाद के साथ अनावेदक ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि गांव की मीटिंग में पंचों ने कहा था कि आवेदिका गैर आदमी के साथ जानबूझकर शारीरिक संबंध स्थापित की है, इसलिए अलग रही है। इस साक्षी ने आवेदिकागण का समर्थन करते हुए साक्ष्य पेश की है, जिसका खण्डन न होने से साक्षी की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार भारतसिंह (आ.सा.3) ने भी अपनी साक्ष्य में आवेदिका का समर्थन किया है, जिसका खण्डन उसके प्रतिपरीक्षण में नहीं किया गया है।

8- अनावेदक सुरेन्द्र (अना.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि आवेदिका क्रमांक-1 उसके साथ सुखपूर्वक निवास करती रही है तथा दाम्पत्य जीवन से आवेदिका क्रमांक-2 उत्पन्न हुई। दो-तीन वर्ष पूर्व वह शादी में ग्राम छपला गया हुआ था और रात्रि 12:00 बजे घर वापस आया तो उसने गांव के रामप्रसाद यादव को गलत काम करते हुए आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। उक्त के संबंध में आस पड़ोस के लोगों को बताया और दूसरे दिन सामाजिक मीटिंग की, जिसमें आवेदिका ने सहमति से रामप्रसाद के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया जाना स्वीकार किया है। पंचों के समक्ष यह लिखा-पढ़ी हुई थी कि आवेदिका को पत्नी के अधिकार नहीं रहेंगे और छोड़-छुट्टी के संबंध में लिखा-पढ़ी हुई थी। उनकी जाति-प्रथा के अनुसार उसने

दूसरा विवाह कर लिया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आवेदिका जब से मायके में निवास कर रही है, उसने आवेदिकागण का भरण-पोषण की व्यवस्था नहीं की है। उसकी ग्राम झोलर करीब एक एकड़ जमीन थी एवं सुरवाही में 30 डिसमिल जगह है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह ग्राम पंचायत के कामों में मजदूरी करता है, उसे खेती में तीन-चार किंटल धान होती है।

9— काशीराम (अना.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में अनावेदक के कथन का समर्थन करते हुए मुख्यपरीक्षण में कथन किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आवेदिका चार वर्षों से ग्राम सलघट में अपनी बच्ची के साथ निवास कर रही है और इस बीच अनावेदक ने आवेदिकागण के भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह नहीं बता सकता कि आवेदिका को रामप्रसाद यादव के साथ अनावेदक किस तारीख, महिना व वर्ष में देखा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि रामप्रसाद नाम का व्यक्ति ग्राम झोलर में नहीं था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वे लोग हिन्दू धर्म के संस्कार को मानते हैं और उभयपक्ष के मध्य विधिवत् विवाह विच्छेद नहीं हुआ है।

10— प्रकरण में प्रस्तुत उभयपक्ष की साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक के द्वारा आवेदिका क्रमांक-1 को दूसरा विवाह करने के आशय से मारपीट की जाती रही है तथा पश्चात् में आवेदिका क्रमांक-1 के मायके में निवास करने के दौरान अनावेदक ने दूसरा विवाह कर लिया है।

11— अनावेदक की ओर से मुख्य बचाव आवेदिका क्रमांक-1 की जारता की दशा में रहने बाबत लिया गया है। जारता का तथ्य साबित किये जाने हेतु आवेदिका क्रमांक-1 का कथित रूप से अवैध शारीरिक संबंध की स्पष्ट साक्ष्य पेश किया जाना आवश्यक है तथा आवेदिका क्रमांक-1 का लगातार जारता की दशा में होना भी आवश्यक है। स्वयं अनावेदक की ओर से प्रस्तुत साक्षी काशीराम (अना.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि कथित रामप्रसाद नाम का व्यक्ति ग्राम झोलर में निवास नहीं करता, जिसके साथ अनावेदक ने आवेदिका क्रमांक-1 का अवैध शारीरिक संबंध होना बताया है। अनावेदक की ओर से आवेदिका क्रमांक-1 के कथित जारता की स्थिति में होने के संबंध में मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। उक्त तथ्य के अभाव में अनावेदक के द्वारा आवेदिका क्रमांक-1 का कथित जारता की दशा में रहना प्रमाणित नहीं होता है। अनावेदक का आवेदिका क्रमांक-1 से विधिवत् विवाह विच्छेद न होना तथा अनावेदक द्वारा दूसरा विवाह किया जाना प्रमाणित है। अनावेदक के द्वारा घर से भगा दिये जाने के परिणाम स्वरूप आवेदिका क्रमांक-1 विवश होकर मायके में निवासरत् है, इस प्रकार आवेदिका क्रमांक-1 का अनावेदक से पृथक निवास करने का पर्याप्त कारण उपलब्ध है।

12— आवेदिका क्रमांक-1 ने आवेदन पत्र में प्रस्तुत अभिवचन के अनुरूप अपनी साक्ष्य पेश की है। साक्षीगण के कथनों की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अनावेदक की आवेदिका क्रमांक-1 विवाहिता पत्नी तथा आवेदिका क्रमांक-2 वैध पुत्री है जिनके भरण-पोषण की विधिक जिम्मेदारी अनावेदक पर है। मात्र आवेदिका क्रमांक-1 का मजदूरी कर स्वयं का भरण-पोषण करने का आधार लेकर अनावेदक उक्त विधिक उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता है। अनावेदक सुरेन्द्र (अना.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में अनावेदक के पास कृषि भूमि होने के संबंध में तथा उससे फसल प्राप्त करने और मजदूरी कर आय प्राप्त किया जाना स्वीकार किया है। इस प्रकार अनावेदक द्वारा प्रतिमाह 5,000/-रूपये आय अर्जित किये जाने की उपधारणा की जा सकती है। अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होकर आवेदिकागण के भरण-पोषण में उपेक्षा बरत रहा है। इस कारण आवेदिकागण, अनावेदक से भरण-पोषण राशि प्राप्त करने की हकदार है।

13— आवेदिका क्रमांक-1 को अनावेदक की पत्नी एवं आवेदिका क्रमांक-2 अनावेदक की पुत्री के रूप में ऐसा जीवन स्तर के निर्वहन का अधिकार है, जो कि न तो विलासिता पूर्ण हो और न ही अभाव ग्रस्त बल्कि वह अनावेदक के सामाजिक स्तर व चरित्र के अनुसार सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों के विश्लेषण उपरान्त आवेदिकागण का आवेदन पत्र स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि अनावेदक भरण-पोषण राशि के रूप में आवेदिका क्रमांक-1 को राशि 700/- (सात सौ रुपये) एवं आवेदिका क्रमांक-2 को राशि 500/- (पांच सौ रुपये) प्रतिमाह आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अदा करे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट